इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472] भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2016—अग्रहायण 5, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2016

अधि. क्र. 31-एफ-1-30-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख और 292-ड़ के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख और 339-ड़ के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 10 में,—

(1) उपनियम (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(12) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित भू-खण्ड/आवासीय इकाइयों का विक्रय कॉलोनाइजर द्वारा निम्नलिखित रीति में किया जाएगा,—

(एक) कॉलोनाइजर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के ऐसे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, जिनका मध्यप्रदेश में कहीं भी स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई आवास या आवासीय भू-खण्ड न हो.

(दो) हितबद्ध व्यक्ति, उसकी आय, वास्तविक निवास तथा यह कथित करते हुए शपथ-पत्र कि मध्यप्रदेश में या तो उसके स्वयं के नाम या उसके परिवार के किन्हीं सदस्यों के नाम से कोई आवास/भू-खण्ड नहीं है के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा. इस प्रकार प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र ऐसे व्यक्ति की पात्रता का पर्याप्त सबूत समझा जाएगा.

(तीन) तत्पश्चात् कॉलोनाइजर, भू-खण्ड/आवासीय इकाई क्रय करने हेतु पात्र व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा. इस प्रकार तैयार सूची, दस्तावेजों की प्रति के साथ, जिला कलक्टर तथा नगरपालिका के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी तथा एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति colonyallotuad@mpurban.gov.in में ई-मेल द्वारा भी प्रस्तुत की जाएगी.

(चार) उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् कॉलोनाइजर, पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड/आवासीय इकाइयों के विक्रय/हस्तांतरण की कार्यवाही करेगा.".

(2) उप नियम (13) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(13) नगरपालिका का सक्षम प्राधिकारी उसी अनुपात में बंधक रखे गए भूखण्ड/आवासीय इकाइयों को निर्मुक्त करेगा जिसमें कॉलोनाइजर ने नियम 10 के उप नियम (12) में विहित प्रक्रिया के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित भूखण्ड/आवासीय इकाइयों का विक्रय/हस्तांतरित किया है.".

Not. No. 31-F-1-30-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Sections 292-A, 292-B and 292-E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 read with Sections 339-A, 339-B and 339-E of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagarpalika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 10,—

1. for sub-rule (12), the follwing sub-rule shall be substituted, namely:—

"(12) The plots/dwelling units reserved for economically weaker sections and lower income groups shall be sold by colonizer in the following manner,—

(i) Colonizer shall invite applications from persons belonging to economically weaker sections and lower income groups, who do not own any house or residential plot anywhere in Madhya Pradesh either in his name or in the name of his familly members.

(ii) Persons interested shall submit application alongwith an affidavit stating his income, domicile and that he does not own any house/plot either in his name or in the name of his family member in Madhya Pradesh. The submission of such affidavit shall be deemed to be an adequate proof of such person's eligibility.

(iii) Colonizer shall thereafter prepare a list of persons eligible for buying plot/dwelling unit. The list so drawn shall be submitted along with the copy of documents to the District Collector and Competent Authority of the Municipality and also an 'electronic copy shall be submitted by email to colonyallotuad@mpurban.gov.in.

(iv) Colonizer after completion of above mentioned procedure shall proceed to sell/transfer the plots/dwelling units to the eligible persons.".

(2) for sub-rule (13), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(13) Competent Authority of the Municipality shall release the mortgaged plots/dwelling units in the same proportion in which the colonizer has sold/transferred plots/dwelling units reserved for economically weaker sections and low income groups in accordance with the procedure prescribed in sub-rule (12) of rule 10.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.